कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
रजबंधा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990
www.govtdentalcollegeraipur.in/ Email-govdentalcollege@gmail.com (GST- 22JBPS02579D1D2)

क्रमांक/2703 /जीडीसी/मेन्ट./2025 रायपुर, दिनांक 18/6/25

कोटेशन सूचना
Quotation Notice

विषयः— महाविद्यालय में स्थापित RO+Chiller एवं Water Cooler +RO का व्यापक वार्षिक रखरखाव(CMC) कार्य हेतु दर प्रस्तुत करने बाबत्।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के मुख्य भवन, बालक एवं कन्या छात्रावास में स्थापित **RO+Chiller - 08 pcs** एवं **Water Cooler +RO - 07 pcs**, का व्यापक वार्षिक रखरखाव (CMC) अनुबंध कार्य (स्पेयर पार्टस सहित) कराया जाना है। अतः इच्छुक पक्ष/सर्विस प्रदाता फर्म महाविद्यालय में स्थापित उक्त मशीनों का निरीक्षण/जॉच कर व्यापक वार्षिक रखरखाव (CMC) कार्य हेतु निम्नलिखित प्रारूप में अपना कोटेशन/दर प्रस्तुत करेः—

क्र.	विवरण	संख्या	बेसिक मुल्य (स्पेयर पार्टस सहित)	GST %	कुल राशि (जीएटी सहित)
01	**Ro + Chiller (Make - Eureka Forbes)** **Category - Other, Capacity - 80 Ltr.** **PACKAGE-** : Water purifier and conditioning system maintenance involving basic servicing, filters, membranes, All electrical parts including pump and compressor	08 नग		:	
02	**Water Cooler + R/o** (Make - **Other**) - **Category** - Potable Water Purification System Reverse Osmosis Or UV Based **PACKAGE-** : Water purifier and conditioning system maintenance involving basic servicing, filters, membranes, All electrical parts including pump and compressor	07 नग			

अतः उपरोक्तानुसार उक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्म मशीनों का निरीक्षण कर अपना कोटेशन/दर मुहरबंद लिफाफे में **दिनांक 24/06/2025 शाम 05:30 बजे तक** जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

नियम एवं शर्तेः—

1. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या अन्य कोई टैक्स हो तो स्पष्ट रूप से उल्लेख करे।
2. कोटेशन कर्ता अपना जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करे।
3. किसी भी फर्म की कोई भी शर्ते मान्य नही होगी।
4. सर्विस प्रदाता फर्म द्वारा दिये गये दर (L_1) की वैधता 01 वर्ष के लिये मान्य रहेगी। इस हेतु सर्विस प्रदाता फर्म से 50.00 रू. के नान ज्युडिशियल स्टाम्प में अनुबंध किया जावेगा।

क्रमशः ....

5. सर्विस प्रदाता फर्म को उक्त कार्य हेतु आदेशित कुल राशि का 5% प्रतिशत राशि सुर निधि/अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./डीडी जो प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

6. सर्विस प्रदाता फर्म द्वारा मरम्मत/रिपेयर किये जाने वाले पार्टस जिस कंपनी/मेक स्थापित है उसी कंपनी/मेक का लगाया जाना एवं मरम्मत/रिपेयर किये गये पार्टस की वारंटी/गारंटी अवधि अधिकतम 01 वर्ष होना अनिवार्य होगा।

7. सर्विस प्रदाता द्वारा सर्विस कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में संवंधित कार्य का भुगतान रोक दिया जावेगा।

8. RO+Chiller एवं Water Cooler +RO का मरम्मत कार्य कार्यालयीन समय पर महाविद्यालय में ही किया जाना होगा। अपरिहार्य स्थिति में ही प्रभारी अधिकारी की अनुमति उपरांत मशीनें मरम्मत हेतु बाहर ले जाने की अनुमति होगी। जिसके लिए किसी प्रंकार अतिरिक्त राशि भुगतान नहीं की जावेगी।

9. मरम्मत/रिपेयर किये जाने वाले Water Cooler जिस स्थान पर स्थापित था उसी स्थान पर मरम्मत उपरांत पुनः स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

10. फर्म द्वारा अनुबंधित एल–1 दर पर ही अनुबंध अवधि 01 वर्ष तक RO+Chiller- 08 pcs एवं Water Cooler +RO - 07 pcs का वार्षिक रखरखाव/मरम्मत/रिपेयर कार्य स्पेयर पार्टस सहित किया जाना अनिवार्य होगा।

11. सर्विस प्रदाता फर्म को मरम्मत हेतु दूरभाष पर जानकारी दिये जाने के उपरांत तत्काल अविलंब मरम्मत हेतु सर्विस मेन/इंजीनियर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

12. संबंधित फर्म को सर्विस कार्य का भुगतान दो सामान किस्तों में किया जावेगा, जिसके लिए संवंधित अधिकारी से मरम्मत कार्यो का वेरिफिकेशन/सत्यापन रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में कार्यवाही की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर (छ.ग) के क्षेत्राधिकार में ही मान्य किया जायेगा।

14. सभी शर्तो अनुबंध में समाहित रहेंगी।

15. समस्त प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा शासन के वर्तमान प्रचलित नियम अनुसार शासित होंगे।

Digitally signed by
Dr Virendra Vadher
Date: 18-06-2025
12:11:37

प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर